न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 221/2024 दायर दिनांक–23.12.2024

1. महेश पुत्र शंकरलाल
2. विजय पुत्र मामराज
3. पुष्पा पत्नी मामराज जाति चेजारा निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

— आवेदकगण

— :: बनाम ::—

1. प्रभूदयाल पुत्र ब्रजमोहन जाति महाजन निवासी प्रेमसुख कोलॉनी नागेश्वर बगीची के पास सीकर तहसील व जिला सीकर
2. लालबहादूर पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 29 राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर
3. नवीन कुमार पुत्र विष्णु कुमार जाति महाजन निवासी प्रेमसुख कॉलोनी नागेश्वर बगीची के पास सीकर तहसील व जिला सीकर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—अनावेदकगण

वकील आवेदक : — श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील अनावेदकगण :— श्री आनन्दी लाल सैनी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

—:: आदेश ::—

दिनांक 13.11.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :— ग्राम चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1558 रकबा 3 बिश्वा, खसरा नम्बर 1585 रकबा 6 बीघा 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 7 बीघा 17 बिश्वा कुल खसरे 3 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा स्थित है। जो आवेदकगण के दादा जसुराम उर्फ जसु के नाम से खातेदारी दर्ज है। जिसकी जमाबनदी सम्वत 2016 से 2019 'ए' मार्क की, जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 की 'बी' मार्क की, जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2032 की 'डी' मार्क की है। उक्त भूमि आवेदकगण की पैत्रिक खातेदारी की भूमि है। जिसमें आवेदकगण को पैदा होते ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है और आवेदकगण की उक्त सम्पति संयुक्त परिवार की सहदायिकी कोपार्सनर भूमि है और आवेदकगण जन्मजात ही अपने हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है जिनकी घोषणार्थ के लिये उक्त वाद/प्रार्थना–पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है।

जब जसुराम जो आवेदकगण का दादा पूर्वज था उसका देहान्त हुआ तो प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित जसुराम के तीन पुत्र हनुमान, मोहन व शंकरलाल के खातेदारी में दर्ज हो गई और इस भूमि के नये खसरा नम्बर पड गये जो निम्न प्रकार से है। खसरा नम्बर 398, खसरा नम्बर 399, खसरा नम्बर 2382, खसरा नम्बर 2523/2, खसरा नम्बर 2528, खसरा नम्बर 2584, खसरा नम्बर 2585 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर पड़ गये जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2050 की 'ई' मार्क की है, जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 'एफ' मार्क की है, जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 'जी' मार्क की है, जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 'एच' मार्क की और जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 की 'आई' मार्क की पेश है। उक्त भूमि स्व. जसुराम के तीनो पुत्रो के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई है।

जसुराम का बडा पुत्र हनुमान [illegible] कोई सन्तान नही थी इसलिए उसने अपने छोटे भाई शंकरलाल के बड़े पुत्र मामराज जो आवेद[illegible] 3 व प्रतिवादी नं. 8 व 9 का पूर्वज है को विधिनुसार गोद ले लिया। और [illegible] के साथ ही रहा और उसने ही मामराज का विवाह किया। हनुमान की पत्नी गीता [illegible] थी जिसका स्वर्गवास सन् 2018 में हो गया, गीता देवी व हनुमान हमेशा ही अपने आचरण व व्यवहार में मामराज को अपना दतक पु[illegible] आये है और आज भी आम सामाजिक व्यवहार में उन्हे हनुमान का [illegible]ही स्वीकार करते है। हनुम[illegible] में मोहन सन् 1997 में फौत हो गया उसके कोई वारिस नही था इस कारण मोहन का 1/3 हिस्सा स्व. शंकरलाल को प्राप्त हो गया शंकरलाल 8 मार्च 2010 को फौत हुआ इस प्रकार आवेदक नं. 1 व प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत 7 का प्रार्थना पत्र की धारा 2 व 3 में वर्णित भूमि में 2/3 हिस्सा है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:19 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

हनुमान का 1/3 हिस्सा है जिसके वारिस आवेदकगण नं. 2 व 3 व प्रतिवादीगण नं. 8 व 9 है। इसी प्रकार से आवेदकगण उनके वारिसानों का हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। शंकरलाल के 2/3 हिस्से में आवेदक नं. 1 व प्रतिवादी नं. 5 लगायत 7 शामिल है व हनुमान के 1/3 हिस्से में आवेदकगण 2 व 3 व प्रतिवादीगण 8 व 9 शामिल है। प्रतिवादी नं. 5 लगायत 7 शंकरलाल के हिस्से की सहहिस्सेदार है और शामिल माना जावे व हनुमान के हिस्से में प्रतिवादी नं. 8 व 9 शामिल माने जावे प्रार्थना–पत्र में इसी प्रकार माने व पढे जावे इसी प्रकार डिक्री की जावे।

प्रार्थना–पत्र की धारा 3 में वर्णित नये खसरा नम्बर 398, खसरा नम्बर 399, खसरा नम्बर 2382, खसरा नम्बर 2523/2,खसरा नम्बर 2528, खसरा नम्बर 2584, खसरा नम्बर 2585 कुल 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर में आवेदक 1 व प्रतिवादी नं. 5 लगायत 7 व उसके स्व. पिता शंकरलाल का 2/3 हिस्सा है। और आवेदकगण नं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी नं. 8 व 9 की व उसके स्व. पूर्वज हनुमान के 1/3 हिस्सा है। पैत्रिक सम्पति होने के कारण आवेदक नं. 1 व प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत 7 के पूर्वज शंकरलाल का 2/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा ही था। और वह कुल उपर वर्णित 7 खसरा नम्बरान में से 1/5 हिस्सा ही विक्रय कर सकते थे। और आवेदकगण 2 व 3 व प्रतिवादीगण नं. 8 व व 9 के पूर्वज हनुमान का 1/3 हिस्सा था उसमें से 1/6 हिस्सा उसके दतक पुत्र मामराज का था जो आवेदकगण 2 व 3 व प्रतिवादीगण नं. 8 व 9 का पूर्वज है। और 1/6 हिस्सा हनुमान की पत्नी गीता देवी का था। इस प्रकर कुल भूमि में हनुमान की धर्मपत्नी गीता देवी 1ध्6 हिस्सा ही विक्रय कर सकती थी और स्व. शंकरलाल 2/3 हिस्से में 1/5 हिस्सा ही विक्रय कर सकता था उससे अधिक का विक्रय पत्र जो शंकर व गीता देवी ने अनावेदक नं. 1 लगायत 3 के हक में तस्दीक करवाया है वो एबिनिसियों बोईड है। जो आवेदकगण हक हक अधिकारो पर बेअसर है। जिसके लिए उक्त प्रार्थना–पत्र पेश है। स्व. शंकरलाल व स्व. गीता देवी उपर वर्णित प्रकार से कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टर, सारे खसरा नम्बरान में से ही गीता देवी 1/6 हिस्सा विक्रय कर सकती थी और शंकरलाल सारे खसरा नम्बर में से 2/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा ही विक्रय कर सकता था। कुल खसरा नम्बरों में से अपना हिस्सा विक्रय करने के अधिकार नहीं थे। स्व. गीता देवी व स्व. शंकरलाल ने सिर्फ 2 खसरा नम्बर 837 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.72 हैक्टर में से जो विक्रय पत्र तस्दीक करवाये है वो एबिनिसियों बोईड है। इस प्रकार विधिनुसार अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में विक्रय–पत्र तस्दीक नही होने के कारण से तीनो विक्रय पत्र ही एबिनिसियो बोईड है उक्त भूमि पैत्रिक खातेदारी की भूमि है अगर सहहिस्सेदार अपना हिस्सा विक्रय करना चाहता है तो हिन्दू उताराधिकार की धारा 22 के अनुसार सहहिस्सेदार को प्रथम क्रय का अधिकार देना कानूनी दायित्व है आवेदकगण विक्रय हिस्सा क्रय करने को हमेशा तैयार है इसलिए प्रतिवादीगण को आदेश दिया जावे कि विक्रय–पत्र में दर्ज प्रतिफल आवेदकगण से लेकर आवेदकगण के नाम उनकी पैत्रिक भूमि क्रय की है वह वापिस उनके नाम ट्रांसफर कर दे। एबिनिसियों बोईड दस्तावेज के सम्बन्ध में और खातेदारी घोषणा करने के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय वाद सुनने के लिए अधिकृत है। इसलिए आवेदकगण उक्त तीनोंविक्रय–पत्र जो अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में तस्दीक हुये है। उन्हे एबिनिसियो बोईड करार दिये जाने व आवेदकगण अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने के लिये उक्त वादध्प्रार्थना–पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

स्व. गीता देवी व शंकरलाल ने खसरा नम्बर 538 रकबा 0. 72 हैक्टर का विक्रय–पत्र दिनांक 15. 06.2009 को अनावेदक नम्बर 1 प्रभूदयाल अग्रवाल के पक्ष में आधे हिस्से का तस्दीक करवाया है वह ष्जेष मार्क का है और इसी खसरा नम्बर के आधे हिस्से का विक्रय–पत्र जो अनावेदक नम्बर 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया है। वह ष्केष मार्क का है। व खसरा नम्बर 837 रकबा 03800 हैक्टर का अनावेदक नं. 3 के पक्ष में पूरे रकबे का तस्दीक करवाया जो 'एल' मार्क का है। उक्त खसरा नम्बर 837 व 838 के पुराने खसरा नम्बर 2584 व 2585 पड़े थे जो मूल पुराने खसरा नम्बर 1685 से बने थे उक्त मिलान क्षेत्रफल 'एम' मार्क का है। और अनावेदकगण ने उक्त विधि विरूद्ध विक्रय पत्र अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिये उसका इन्तकाल उनके पक्ष में इन्तकाल नम्बर 321 तस्दीक हुआ है जो 'एन' [illegible] और अनावेदकगण के नाम उस गलत इन्तकाल से उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो गई उसकी [illegible] अनावेदक नं. 1 व 2 के नाम की ष्ओष मार्क की है। अनावेदक नम्बर 3 के नाम की 'पी' मार्क की है। [illegible] दोनों खसरा नम्बरो के अलावा शेष खसरा नम्बर आवेदकगण के खातेदारी में दर्ज हो गये जिसमें [illegible] खसरा नम्बर 1017/781, खसरा नम्बर 621 और खसरा नम्बर 9 कुल खसरे 3 कुल रकबा [illegible].1052 हैक्टर दर्ज हो गया जिसकी जमाबन्दी 'क्यू' मार्क की है। और खसरा नम्बर 1012/621, खसरा नम्बर 1013/871 व खसरा नम्बर 8 कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर वादी 5 लगायत 8 के नाम से दर्ज हो गया जिसकी जमाबन्दी 'आर' मार्क की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:19 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

नोटः– वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 837 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.72 हैक्टर इतने का ही उक्त प्रार्थना–पत्र में विवाद है। शेष खसरा नम्बरों का कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बरों को ही आगे प्रश्नगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विक्रय–पत्र स्व. गीता देवी व स्व. शंकरलाल ने अनावेदक नं. 1 लगायत 3 के पक्ष में उपर वर्णित प्रकार से अपने हिस्से से ज्यादा विक्रय पत्र करवाने और सारे खसरा नम्बरों में से अपने हिस्से तक का विक्रय पत्र नही करवाने और सिर्फ 2 खसरा नम्बरों में अनावेदक 1 लगायत 3 के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से उक्त विक्रय–पत्र तस्दीक करवाये है। जो आवेदकगण के हक अधिकारो पर बेअसर है। और पूर्णरूप से विधि विरूद्ध विक्रय पत्र तस्दीक होने के कारण से एबिनिसियो बोईड है।इसलिए आवेदकगण अपने अधिकारो की घाषणा करवाने और अनावेदक नम्बर । लगायत 3 के पख में तस्दीक हुए विक्रय पत्र को एबिनिसियो बोईड करार देने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश कर रहे है।

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र के लिये वादकारण अनावेदकगण ने माह अक्टुबर सम्वत 2023 में इनके फर्जी विक्रय–पत्रों के आधार पर कब्जा करने की धमकी दी और आवेदकगण के कब्जे काश्त में दखल देकर नाजायक कब्जा करने की कोशिश की तो आवेदकगण ने तहसीलदार व पुलिस में सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र लगाया और विक्रय पत्र की नकल दिनांक 07.11.2023 का ली तो वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ। और ज्ञान होते ही आवेदकगण तुरन्त ही प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश कर रहा है और अनावेदकगण फर्जी दस्तावेजात के आधार पर आवेदकगण के कब्जे में दखल करने की कोशिश करेगा और फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय पत्र तस्दीक कराने की धमकी दे रहा है। अगर अनावेदकगण अपनी इस नाजायज मंशा में सफल हो गये तो आवेदकगण को इतना नुकसान होगा कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में सम्भव नहीं होगी। आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का सन्तुल भी आवेदकगण के पक्ष में है, इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायोचित है।अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि अनावेदकगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम रामपुरा खसरा नम्बर 837 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.72 हैक्टर के कब्जे काश्त व खातेदारी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और ना ही अपने आदमियो से करवायें मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री आनन्दीलाल सैनी उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि :– आवेदकगण द्वारा वाद पत्र पेश करना स्वीकार है परन्तु आवेदकगण ने बहुत ही कमजोर आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की कोई गुंजाईश नही है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में भूमि स्थित होना स्वीकार है शेष तथ्य आवेदकगण अपनी सक्षम साक्ष्य से स्वयं साबित करें। आवेदकगण ने अपने वादध्प्रार्थना पत्र में वंशावली दर्शित नही की है। जिसको वाद/प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पति अविभाजित पैत्रिक सम्पति साबित किया जाना संभव नही है। आवेदकगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में भूमि स्थित होना ओर उनके नये खसरा नम्बर दर्ज होने तक स्वीकार है शेष कथन वादीगण से संबंधित है जिसे आवेदकगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। शेष तथ्य आवेदकगण ने मिथ्या व मनगढ़त दर्ज किये है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नही है। आवेदकगण महज एक मुकदमें बाज व्यक्ति है जो उत्तरदाता को [illegible] दावा प्रस्तुत करते है और उत्तरदाता से राजीनामा कर दावा विड्रा कर लेते है। आवे[illegible] पूर्व में मुकदमा नं0 151/2023 उनवानी विजय कुमार बनाम नवीन कुमार [illegible] प्रेस कर लिया एक अन्य दावा मुकदमा नं. 157/2023 उनवानी महेश बनाम प्रभुद[illegible] प्रस्तुत किया जिसमें उत्तरदाता से राजीनामा कर दावा विड्रा कर खारिज करवा लिया। अब पुनः मुकदमा नं. 157/2023 को तोड़–मरोड़कर उसी वादकारण के आधार बनाकर वर्तमान दावा प्रस्तुत किया [illegible] जो कानूनन चलने योग्य नही है। उत्तरदाता एक सदभावी केता है जिन्होनें विधि अनुसार प्रतिफल अदा कर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की है जिसको एबीनिसियों वॉईड कहने एवं बेअसर कराने काआवेदकगण को कोई हक अधिकार नहीं है आवेदकगण महज एक मुकदमें बाज व्यक्ति है जो उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने तथा उन्हें ब्लेकमेल कर रूपये ऐंठने की नियत से दावा प्रस्तुत करते है तथा उत्तरदाता से राजीनामा कर दावा विड्रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:19 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

कर लेते है ओर फिर नया दावा पेश कर देते है जिससे आवेदकगण की नियत स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि वे इमोशनल ब्लेकमेलर व्यक्ति है जिनका उदेश्य मात्र उत्तरदाता को ब्लेकमेल करना ओर उनसें रूपयें हड़पना है ऐसी स्थिति में आवेदकगण का दावाध्प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण भूमि खसरा नम्बर से संबंधित अपनी सक्षम साक्ष्य से साबित करें। शेष कथन आवेदकगण से संबंधित है।

प्रार्थना पत्र की धारा 6 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता ने नियमानुसार प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया है जिन्हें किसी भी प्रकार से एबीनिसियों वॉईड नही कहा जा सकता। आवेदकगण ने इस धारा में अंकित किया कि यदि सह हिस्सेदार अपना हिस्सा विकयकरना चाहता है तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार सह हिस्सेदार को प्रथम कय का अधिकार देना कानूनी दायित्व है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि हकसफा का सिद्धान्त खातेदारी अधिकार की भूमि पर लागू नही होता है ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नही होते है खातेदारी अधिकार की भूमि के अं. कोई भी सह काश्तकार अपना हक व हिस्सा एवं खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित अथवा विक्रय कर सकता है जिस पर हकसफा का नियम लागू नहीं होता है। साथ ही यहां पर यह स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि हकसफा का वाद सुनने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है आवेदकगण किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकार आवेदकगण को नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। गीता देवी व शंकरलाल द्वारा नियमानुसार अपने खातेदार की भूमि का विकय पत्र उत्तरदाता के पक्ष में तस्दीक करवाया है जिसके आधार पर भूमि का इन्तकाल संख्या 321 उत्तरदाता के पक्ष में स्वीकृत हुआ है शेष तथ्य आधारहीन है जिनका किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। गीता देवी व शंकरलाल ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने खातेदारी की भूमि का विकय पत्र उत्तरदाता के पक्ष में तस्दीक करवाया है जिसको बेअसर घोषित करवाने का आवेदकगण को कोई अधिकार नहीं है। यदि विक्रय पत्र से आवेदकगण के हक व अधिकार प्रभावित होते तो वे अन्दर मियाद समय सीमा के भीतर विकय पत्रो को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकते थे लेकिन आवेदकगण मात्र उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने की नियत से मिथ्या दावा प्रस्तुत करते है एवं राजीनामा कर दावा विड्रा कर लेते है। आवेदकगण किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता द्वारा दिनांक 15.06.2009 को भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया था ऐसी स्थिति में कब्जा करने की धमकी देने, नाजायज कब्जा करने, आवेदकगण को बेदखल करने काप्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता आवेदकगण द्वारा मिथ्या तथ्य एवं वादकारण अंकित करते हुये दावा प्रस्तुत किया है आवेदकगण को कोई नुकसान होने एवं किसी प्रकार की क्षति होने की कतई कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है आवेदकगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदकगण को वर्तमान वाद के लिए कोई वादाधिकार उत्पन्न नहीं हुआ आवेदकगण का यह कथन निराधार है कि दिनांक 25.02.2027 को उन्हें धोखा देकर दावा विड्रा करवा लिया यहां यह स्पष्ट किया जाना उचीत होगा कि मुकदमा नं0 157/2023 उनवानी महेश कुमार बनाम प्रभूदयाल में अधिवक्ता स्वयं श्री विधाधर जाखड़ एडवोकेट जिन्होनें स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर दावा विड्रा किया है एवं वर्तमान वाद में भी अधिवक्ता स्वयं श्री विधाधर जाखड़ ही है तथा दिनांक 25.10.2024 को एक अन्य वाद जो कि इसी भूमि से संबंधित है मुकदमा नं. 151/202[illegible] विजय कुमार बनाम नवीन कुमार जो कि वर्तमान दावें के वादी नं0 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया था [illegible] दिनांक 25.10.2024 को ही नोट प्रेस किया गया है जिससे यह कतई संभव नहीं है कि दावें/प्रार्थना पत्र आवेदकगण को धोखा देकर विड्रा करवाये गये हो यदि तर्कके तौर पर ऐसा हुआ भी है तो मुकदमा नं0 151/2023 व 157/2023 को पुनः रेस्टोर करवाकर नम्बर पर लिया जा सकता है इसलिए नया [illegible]/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी इसके संदर्भ में आवेदकगण ने अपने वाद/प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी कोई तथ्य अंकित नही किया है जिससे आवेदकगण का दावा/प्रार्थना पत्र रेसज्यूडीकेटा के आधार पर खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:19 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

अतिरोक्तर

हकसफा का सिद्धान्त खातेदारी की भूमि पर लागू नही होता है हकसफा के संबंध में दावा/प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। आवेदकगण को वर्तमान वाद/प्रार्थना पत्र के लिए कोई वादाधिकार उत्पन्न नहीं हुआ आवेदकगण का यह कथन निराधार है कि दिनांक 25.02.202 को उन्हें धोखा देकर दावा विड्रा करवा लिया यहां यह स्पष्ट किया जाना उचीत होगा कि मुकदमा नं0 157/2023 उनवानी महेश कुमार बनाम प्रभूदयाल में अधिवक्ता स्वयं श्री विधाधर जाखड़ एडवोकेट जिन्होनें स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर दावा विड्रा किया है एवं वर्तमान वाद में भी अधिवक्ता स्वयं श्री विधाधर जाखड़ ही है तथा दिनांक 25.10.2024 को एक अन्य वाद जो कि इसी भूमि से संबंधित है मुकदमा नं. 151/2023 उनवानी विजय कुमार आवेदक नं० 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस वाद को भी दिनांक 25.10.2024 को ही नोट प्रेस किया गया है जिससे यह कतई संभव नहीं है कि दावें वादीगण को धोखा देकर विड्रा करवाये गये हो यदि तर्क के तौर पर ऐसा हुआ भी है तो मुकदमा नं0 151/2023 व 157/2023 को पुनः रेस्टोर करवाकर नम्बर पर लिया जा सकता है इसलिए नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी इसके संदर्भ में आवेदकगण ने अपने वाद पत्र में कहीं पर भी कोई तथ्य अंकित नही किया है जिससे आवेदकगण का दावा/प्रार्थना पत्र रेसज्यूडीकेटा के आधार पर खारिज होने योग्य है।

उत्तरदाता भूमि के सद्भाविक केता है जिन्होनें दिनांक 15.06.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं विकय पत्र के आधार परमान्तकरण संख्या 321 उत्तरदाता के पक्ष में स्वीकृत हुआ है जिससे वे भूमि के सह काश्तकार है जिनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा सह काश्तकार के विरूद्ध जारी नहीं की जा सकती है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :- दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।** वाके ग्राम रामपुरा खसरा नम्बर 837 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.72 हैक्टर हैक्टर अवस्थित है, उक्त भूमि शामलाती तथा पैतृक संपति है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भूमि पैतृक होना साबित है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा तय होना है। जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकोर्डेड काश्तकार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर उक्त पैतृक आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता होगी तथा आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में है।
- **अपूरणीय क्षति :-** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में होने से तथा विवादग्रस्त भूमि आवेदकगण के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदकगण के पक्ष मे है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थ[illegible]ाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामपुरा खसरा नम्बर 837 रकबा 0.38 हैक्टर, [illegible] 838 रकबा 0.72 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति ब[illegible] रखने हेतु तादावा [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 23.12.2024 को पुष्ट किया जाता [illegible] कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय [illegible]या गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ